

प्रपत्र VI 'क'

समाहर्ता या समुचित सरकार

प्रारंभिक अधिसूचना

(अधिनियम-30/2013 की धारा-11(1) के अधीन)

चूंकि समाहर्ता, चतरा को यह प्रतीत होता है कि ग्राम- **मुरुए**, थाना नं0-**145** थाना-**सिमरिया**, अंचल- **सिमरिया**, जिला-**चतरा** में भूमि सार्वजनिक प्रयोजन, यथा **परियोजना शिवपुर-कठौतिया न्यू रेल लाईन निर्माण** हेतु अपेक्षित है। प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के प्रयोजनार्थ अपर समाहर्ता अथवा नियम 2(1) (ख) के तहत नियुक्त पदाधिकारी प्रशासक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। अतएव अधिसूचित किया जाता है कि ग्राम- **मुरुए**, थाना- **सिमरिया** थाना नं0- **145** अंचल- **सिमरिया** जिला- **चतरा** में उपर्युक्त कथित परियोजना के लिए कमोवेश **0.32** एकड़ यानि **0.129** हेक्टेयर मानक माप का भूखंड, जिसका विस्तृत विवरण निम्नलिखित है, अर्जनाधीन है

क्र० सं०	खाता सं०	सर्वे भूखंड सं०	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्रफल (एकड़ में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम व पता	सीमा (भूखंड सं०)			
							उ०	द०	पू०	प०
01	52	1010 अंश	रैयती	परती कदीम	0.32	सन्नु महतो पिता स्व दुसाध महतो	प्लॉट संख्या 230	प्लॉट संख्या 1038	प्लॉट संख्या 1009	प्लॉट संख्या सड़क
				कुल	0.32					

यह अधिसूचना भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (अधिनियम संख्या 30/2013), की धारा-11(1) के उपबंधों के अधीन सभी संबंधित व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है।

भूमि की योजना का निरीक्षण जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, चतरा के कार्यालय में किसी कार्य दिवस की कार्यावधि में किया जा सकेगा। झारखण्ड सरकार/समाहर्ता-सह-समुचित सरकार उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथाउपबंधित एवं यथाविनिर्दिष्ट कार्यों के समुचित निष्पादन हेतु अपेक्षित किसी भूमि का सर्वेक्षण एवं उसकी प्रविष्टि करने, किसी भूमि के किसी स्तर को मापने के लिए, अवभूमि खोदने या भू-वेधन-छिद्र करने सहित सभी अन्य कार्यों के संचालन करने हेतु जिला भू-जिला पदाधिकारी, चतरा और उनके कर्मचारी कानूनगो/ अमीन/ संबंधित को प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई जिला समाहर्ता के पूर्विक अनुमोदन के बिना इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई अंतरण यथा क्रय/विक्रय नहीं करेगा या ऐसा कोई अंतरण नहीं करवाएगा या ऐसी भूमि पर कोई

अवभार नहीं उत्पन्न करेगा। अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथाउपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से साठ (60) दिनों के अंतर्गत भू-अर्जन की बाबत किसी प्रकार की अपत्तियां हितबद्ध व्यक्ति द्वारा जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, चतरा के समक्ष दर्ज की जा सकेगी।

अमीन, कानूनगो, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, अपर समाहर्ता, उपायुक्त,
चतरा। चतरा। चतरा।